

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 जून 2017 — आषाढ़ 8, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2017

अधिसूचना

सं.../2017- राज्य कर

क्रमांक एफ-10-44/2017/वाक/पांच(86). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक के अनुसरण में, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करता है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वार्षिक आवृत्त नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोड के अंकों का वर्णन, उक्त अधिसूचना के अधीन जारी कर-बीजक में करेगा ।

सारणी

क्रम सं०	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में वार्षिक आवृत्त	एचएसएन कोड के अंकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	एक करोड़ पचास लाख रुपए तक	कुछ नहीं
2.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक और पांच करोड़ रुपए तक	2
3.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	4

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2017

क्रमांक एफ-10-44/2017/वाक/पांच(86). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-44/2017/वाक/पांच(86), दिनांक 29-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 29th June 2017

NOTIFICATION

No. /2017-State Tax

No. F-10-44/2017/CT/V (86). — In pursuance of the first proviso to rule 46 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered person having annual turnover as specified in column (2) of the Table below shall mention the digits of Harmonised System of Nomenclature (HSN) Codes, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in a tax invoice issued by them under the said rules.

TABLE

Serial Number	Annual Turnover in the preceding Financial Year	Number of Digits of HSN Code
(1)	(2)	(3)
1.	upto rupees one crore fifty lakhs	Nil
2.	more than rupees one crore fifty lakhs and upto rupees five crores	2
3.	rupees five crores and above	4

2. This notification shall come into force from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.